अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक सोहवा देवी ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष राजु वर्मा वगैरह..........द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ......8/5/22......................से .....8/8/22........................तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....62......सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदिका सोहवा देवी पति स्व0 बैजनाथ राम, साकिन-जेरुवाडीह, पोस्ट-कुबरी, थाना-धनवार, जिला-गिरिडीह द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा-बडकी सरिया, अंतर्गत खाता नं0-200, प्लॉट नं0-1813, रकवा-4.13 ए0, चौहद्दीः उ0-प्लॉट नं0-1813, द0-प्लॉट नं0-1813, पू0-प्लॉट नं0-1824, प0-रास्ता में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, सरिया से मांगे। To 21/05/22 8/5/22 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

फारम संख्या 562

[का]यलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडी[ह]

आदेश पत्रक

सरिता देवी ....प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम

राजू वर्मा वगैरह ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....सन् 2021

धारा द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी सरिया के ज्ञापांक सं0 828 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 19/5/22 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

की सं० तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
19/5/22	उभय पक्ष अनुपस्थित। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के कारण। नि० 16/6/22 [signature] 19/5	
16/6/22	उभय पक्ष अनुपस्थित। नि० 23/6/22	
23/6/22	प्रथम पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। नि० 7/7/22	
7/7/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया था। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। पीठासीन पदाधिकारी पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहने	

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
	कारण सुनवाई नहीं हो सकी। साथ ही द्वितीय पक्ष के द्वारा अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। द.प्र.स. की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा की अवधि मात्र साठ दिनों की होती है जो पूरी हो गई है। अतः बिना किसी आदेश के वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। SDM.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.09.09 12:08:54 +05:30
Location: 192.168.1.4